



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 826]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, दुरुध और मन्त्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 अप्रैल, 2014

का.आ. 995(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुओं में, संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का 27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए 'मछली, मोलक्स, क्रॉस्टेसियन और एमफीबियन' को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन परिभाषित 'पशु' के अर्थात् जलीय पशु विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 35027/10/2013-एफवाई (एचएंडडी)]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2014

S.O. 995(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (a) of Section 2 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (27 of 2009) (hereinafter referred to as said Act), the Central Government hereby specifies that 'fish, mollusc, crustacean and amphibian' shall be aquatic animals within the definition of 'animal' defined under clause (a) of the said Act.

[F. No. 35027/10/2013-Fy (H&D)]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.